

MAINS MATRIX

TABLE OF CONTENT

1. भारतीय न्यायपालिका में पुरानी प्रशासनिक पदावली (nomenclature) की समस्या
2. राज्य लोक सेवा आयोगों (State PSCs) में सुधार कैसे किया जा सकता है?
3. स्वास्थ्य का भविष्य सामंजस्य और संतुलन में निहित है।

भारतीय न्यायपालिका में पुरानी प्रशासनिक पदावली की समस्या

1. भूमिका (Introduction)

सुप्रीम कोर्ट के *Centre for Research and Planning (CRP)* की एक हालिया रिपोर्ट में न्यायपालिका में उपयोग हो रही कई पुरानी, पदानुक्रम-आधारित और जाति-संकेतित प्रशासनिक पदावलियों पर चिंता व्यक्त की गई है। ये पदनाम—जो सामंती, औपनिवेशिक तथा जाति-आधारित सामाजिक संरचनाओं से प्राप्त हुए हैं—केवल अप्रासंगिक ही नहीं, बल्कि गरिमा और समानता के संवैधानिक वादे को भी कमजोर करते हैं।

2. पहचानी गई समस्या (Issue Identified)

CRP रिपोर्ट बताती है कि न्यायालय प्रशासन में प्रयुक्त कई पदनाम “असमानता की व्याकरण” को दर्शाते हैं। इन शब्दों में जाति-आधारित श्रम विभाजन, औपनिवेशिक शोषण और सामाजिक असमानता की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

3. मौजूदा पदनामों की समस्या (Problem with the Existing Terms)

A. जाति-आधारित पदानुक्रम का सामान्यीकरण

हलालखोर और *स्कैवेंजर* जैसे शब्द स्पष्ट रूप से कुछ ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों से जुड़े हैं।

B. सामंती-औपनिवेशिक श्रम संबंधों का प्रतिबिंब

कुली, *बस्ता बरहार* और *साइकिल सवार* जैसे शब्द दासता-आधारित, शोषणकारी श्रम संरचनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

C. आधुनिक और सम्मानपूर्ण कार्य-संस्कृति में बाधा

भाषा संस्थागत व्यवहार को प्रभावित करती है। अपमानजनक पदनाम संस्थागत गरिमा को कम करते हैं, मनोबल घटाते हैं और प्रतीकात्मक हिंसा को बढ़ावा देते हैं।

4. संवैधानिक चिंताएँ (Constitutional Concerns)

रिपोर्ट विशेष रूप से कहती है कि *हलालखोर* और *स्कैवेंजर* जैसे पदनाम संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं:

- **अनुच्छेद 14:** विधि के समक्ष समानता
- **अनुच्छेद 15:** जाति-आधारित भेदभाव का निषेध
- **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता का उन्मूलन
- **अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार के अंतर्गत गरिमा

इन पदों का जारी रहना न्यायपालिका की संवैधानिक नैतिकता की जिम्मेदारी के विपरीत है।

5. उठाए गए कदम (Action Taken)

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इस रिपोर्ट को सभी उच्च न्यायालयों को भेजकर निर्देश दिया है कि वे:

- प्रशासनिक पदावली को अद्यतन करें
- जाति-तटस्थ और आधुनिक पदनाम अपनाएँ
- न्यायपालिका को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाएं

यह भाषाई भेदभाव को स्वीकारते हुए सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम है।

6. प्रस्तावित सुधार और आधुनिक पदावली

पुराना पदनाम	प्रस्तावित नया पदनाम
हलालखोर / स्कैवेंजर	स्वच्छता सहायक
कुली	मालवाहन सहायक
साइकिल सवार	लॉजिस्टिक्स सहायक
बस्ता बरहार	अभिलेख/दस्तावेज़ सहायक

ये नए पदनाम सम्मानजनक हैं और आधुनिक व्यावसायिक मानकों को दर्शाते हैं।

7. सुधार का महत्व (Significance of the Reform)

A. संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा

पदावली का सुधार समानता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है।

B. प्रतीकात्मक हिंसा का अंत (बोर्दियो)

भाषा में निहित पदानुक्रम सामाजिक असमानता को पुनरुत्पादित करता है। नई पदावली इससे मुक्त करती है।

C. सामाजिक परिवर्तन में योगदान (अंबेडकर का दृष्टिकोण)

संस्थागत भाषा में बदलाव जाति-आधारित मानसिक ढांचे को चुनौती देता है।

D. संस्थागत विश्वसनीयता में वृद्धि

आधुनिक न्यायपालिका को सामंती अवशेषों के बजाय आधुनिक मूल्यों को दर्शाना चाहिए।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

न्यायपालिका में जातिवादी और औपनिवेशिक पदनामों को बदलना केवल भाषाई बदलाव नहीं है, बल्कि यह समानता और गरिमा के प्रति एक संवैधानिक और नैतिक प्रतिबद्धता है। सुप्रीम कोर्ट की यह पहल सभी कर्मचारियों की गरिमा की रक्षा करते हुए न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रगतिशील और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

HOW TO USE IT

यह कदम न्यायपालिका द्वारा केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक गहरा संवैधानिक और नैतिक अनिवार्य है। यह राज्य के उस कर्तव्य को दर्शाता है जिसके तहत उसे इतिहास से विरासत में मिली गहरी सामाजिक पदानुक्रमों और कलंकपूर्ण भाषा को सक्रिय रूप से ध्वस्त करना है, ताकि संस्थान की आंतरिक संस्कृति संविधान के उदार, समानतावादी और गरिमामूलक मूल्यों के अनुरूप हो सके।

मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर-II
(राजव्यवस्था, संविधान, शासन)

1. भारतीय संविधान—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढाँचा

कैसे उपयोग करें:

यह परिवर्तन संविधान के मूल सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप से लागू करने का माध्यम है।

मुख्य बिंदु:

◆ प्रस्तावना (न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व)

अपमानजनक और जाति-संकेतित शब्द इन आदर्शों के पूर्णतः विपरीत हैं।

◆ मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

- **अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार:**
भेदभावपूर्ण भाषा कर्मचारियों के बीच असमान स्थिति पैदा करती है, जो अक्सर जाति से जुड़ी होती है।
- **अनुच्छेद 15 – भेदभाव का निषेध:**
विशेष रूप से जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है। “हलालखोर” जैसे शब्द स्वयं में जातिवादी हैं।
- **अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का उन्मूलन:**
“स्कैवेंजर” जैसे शब्द उन कार्यों से जुड़े हैं जो ऐतिहासिक रूप से दलित समुदायों पर थोपे गए थे। इनका

उपयोग जारी रखना अस्पृश्यता के एक रूप को बनाए रखना है।

• **अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:**

सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें “गरिमा के साथ जीने का अधिकार” भी शामिल किया है।

अपमानजनक पदनाम सीधे गरिमा पर आघात करते हैं।

2. शासन के महत्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance)

कैसे उपयोग करें:

इसे उत्तरदायी और नैतिक शासन के एक श्रेष्ठ मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

◆ **संस्थागत सुधार (Institutional Reform)**

यह राज्य के एक प्रमुख संस्थान—न्यायपालिका—द्वारा आत्म-सुधार और आत्म-विश्लेषण का उदाहरण है।

◆ **प्रतीकवाद और व्यवहारिक प्रभाव**

भले ही परिवर्तन भाषाई हो, इसका गहरा प्रभाव संस्थागत संस्कृति, कर्मचारियों की आत्म-सम्मान और उनकी सामाजिक धारणा पर पड़ता है।

अन्य जीएस पेपर से संबंध

GS Paper IV – नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता

◆ **Ethics and Human Interface:**

यह मुद्दा मूलभूत नैतिक मूल्यों—व्यक्ति की गरिमा और सम्मान—से जुड़ा है। पुरानी पदावली व्यक्ति को केवल उसके कार्य तक सीमित कर देती थी।

◆ **Attitude:**

यह परिवर्तन प्रशासनिक दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवहार को पदानुक्रम और भेदभाव से हटाकर सहानुभूति और सम्मान की ओर ले जाता है।

◆ **Emotional Intelligence:**

यह पहल अपमानजनक लेबलों से होने वाले मनोवैज्ञानिक नुकसान को समझते हुए सहानुभूति और सामाजिक-जागरूकता को दर्शाती है।

◆ **Moral Thinkers का योगदान:**

यह कदम डॉ. बी.आर. अंबेडकर की उस विचारधारा के अनुरूप है जिसमें उन्होंने जाति विनाश और वंचितों की गरिमा के लिए संघर्ष किया।

GS Paper I – भारतीय समाज

◆ भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ

यह कदम भारतीय समाज की सबसे नकारात्मक और गहरी जड़ें जमा चुकी विशेषता—जाति और उससे जुड़ी पदानुक्रम—को बदलने का प्रत्यक्ष प्रयास है।

◆ सामाजिक सशक्तिकरण (Social Empowerment)

यह सबसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाने का कार्य है, विशेषकर राज्य की सबसे प्रभावी संस्थाओं में से एक—न्यायपालिका—के भीतर गरिमा को पुनर्स्थापित करके।

राज्य लोक सेवा आयोगों (State PSCs) में सुधार कैसे किए जा सकते हैं?

मुख्य प्रश्न

- मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने आधुनिक लोक सेवा आयोगों (PSCs) के गठन में कैसे योगदान दिया?
- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की क्या भूमिका है?
- क्या PSC परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है?

2. पृष्ठभूमि / अब तक की स्थिति

- राज्य लोक सेवा आयोगों (PSCs) के अध्यक्षों का 2023 का राष्ट्रीय

सम्मेलन 19-20 दिसंबर को तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

- कई PSC परीक्षाएँ विवादों, कथित लीक, पारदर्शिता की कमी आदि से प्रभावित हैं, जिससे अभ्यर्थियों में विश्वास की कमी पैदा हो रही है।
- बार-बार होने वाले न्यायालय मामलों से भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है, जिससे लाखों उम्मीदवार प्रभावित होते हैं।

3. PSCs का इतिहास

उत्पत्ति

- भारतीय सिविल सेवा के भारतीयीकरण की मांग से लोक सेवा आयोग की अवधारणा उभरकर सामने आई।
- मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (1918) ने सार्वजनिक सेवा आयोग की अनुशंसा की।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने PSCs की स्थापना का प्रावधान किया।
- पहला लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित हुआ, जिसका मुख्य कार्य भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 315-323** UPSC और राज्य PSCs का प्रावधान करते हैं।
- UPSC केंद्र स्तर पर, जबकि राज्य PSCs राज्य स्तरीय भर्ती का कार्य करती हैं।

4. आयोगों की संरचना

UPSC

- अपेक्षाकृत राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त वातावरण में कार्य करती है।
- भर्ती प्रक्रिया मानकीकृत और राष्ट्रीय स्तर की होती है।

राज्य PSCs

- राज्य सरकारों का प्रभाव अधिक होता है।
- अध्यक्ष/सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- योग्यता के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं → राजनीतिकरण और तदर्थवाद की स्थिति।

5. राज्य PSCs से जुड़ी मुख्य समस्याएँ

- अभ्यर्थियों में विशाल **विश्वास संकट**
- अनियमित परीक्षा चक्र → भर्ती में देरी
- राजनीतिक नियुक्तियाँ

- पाठ्यक्रम अपडेट में असंगति
- शिक्षा और परीक्षा सामग्री के बीच अंतर
- न्यायालयी हस्तक्षेप से प्रक्रिया धीमी
- मानव संसाधन योजना का अभाव → पद खाली रहते हैं

6. पाठ्यक्रम समीक्षा की आवश्यकता क्यों?

वर्तमान पाठ्यक्रम प्रायः:

- समकालीन ज्ञान को प्रतिबिंबित नहीं करते।
- विश्वविद्यालयों के साथ समन्वित नहीं होते।
- नए शोध, टेक्नोलॉजी और बदलती आवश्यकताओं को शामिल नहीं करते।

7. सुझाव / सुधारों की दिशा

1. मानव संसाधन योजना (Manpower Planning)

- इसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- UPSC की तरह PSC प्रशासन के लिए अलग मंत्रालय बनाया जा सकता है।
- वार्षिक भर्ती कैलेंडर सख्ती से पालन किया जाए।

2. पाठ्यक्रम (Syllabus) सुधार

- पाठ्यक्रम की नियमित समीक्षा आवश्यक हो।
- शिक्षा और वर्तमान वास्तविकता के अनुरूप संशोधन हो।
- सार्वजनिक परामर्श के आधार पर अपडेट किया जाए।

3. परीक्षा सुधार

परीक्षा में दोनों प्रकार की क्षमताओं का परीक्षण हो:

- **स्थैतिक ज्ञान** (इतिहास, राजनीति)
- **अनुप्रयुक्त ज्ञान** (समस्या-समाधान, विश्लेषणात्मक कौशल)

→ वस्तुनिष्ठ + वर्णनात्मक का मिश्रित मॉडल अपनाया जाए।

4. पूर्णकालिक विशेषज्ञ (Full-Time Experts)

आयोग में शामिल हों:

- शिक्षाविद
- अनुभवी प्रशासक
- विषय विशेषज्ञ

5. कार्यकाल एवं सेवानिवृत्ति आयु

- वर्तमान 6 वर्ष या 62 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 6 वर्ष या 65 वर्ष किया जाए।

6. प्रौद्योगिकी का उपयोग

- कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT)

- पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली
- अद्यतनित ऑनलाइन पोर्टल

7. बेहतर समन्वय

PSCs को समन्वय करना चाहिए:

- राज्य विश्वविद्यालयों,
- प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ATIs),
- UPSC मानकों के साथ।

8. सार (लेख में दिए अनुसार)

- भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों की एंट्री स्वशासन की मांग से शुरू हुई।
- वर्तमान में राज्य PSCs कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं:

- कम फंडिंग
- पुराना पाठ्यक्रम
- राजनीतिक नियुक्तियाँ
- भर्ती में भारी देरी

→ एक संगठित, आधुनिक और पारदर्शी

दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें:

- अकादमिक प्रासंगिकता
- तकनीक
- मूल्यांकन में मडरेशन

को प्राथमिकता दी जाए।

HOW TO USE IT

राज्य लोक सेवा आयोगों (State PSCs) का कुशल संचालन राज्य प्रशासन और सहकारी संघवाद की सेहत के लिए बुनियादी रूप से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में व्याप्त **विश्वास संकट, देरी और राजनीतिकरण** योग्यता-आधारित भर्ती के संवैधानिक दायित्व को कमजोर करते हैं, जिससे प्रशासनिक अक्षमता बढ़ती है और जनता का भरोसा घटता है। राज्य PSCs का सुधार केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि राज्य की कार्यपालिका को सशक्त बनाने के लिए एक **संवैधानिक अनिवार्यता** है।

मुख्य प्रासंगिकता: GS Paper II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था)

1. विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और दायित्व

कैसे उपयोग करें:

यह इस विषय का मूल है। राज्य PSCs **अनुच्छेद 315-323** के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय हैं।

मुख्य बिंदु:

◆ **संवैधानिक मंशा बनाम वास्तविकता**

संविधान निष्पक्ष और स्वतंत्र निकायों की कल्पना करता है, लेकिन वास्तविकता में नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु निश्चित योग्यता मानदंडों के अभाव से राजनीतिकरण और तदर्थवाद बढ़ता है।

◆ UPSC की तुलना

UPSC अपेक्षाकृत राजनीतिक रूप से सुरक्षित एवं मानकीकृत संस्थान है, जबकि राज्य PSCs अधिक राजनीतिक प्रभाव में कार्य करती हैं। इससे केंद्र और राज्यों के बीच भर्ती की गुणवत्ता में असमानता पैदा होती है।

◆ राज्यपाल की भूमिका

सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसलिए चयन प्रक्रिया अत्यधिक संवेदनशील है।

नियुक्तियों को निष्पक्ष बनाने के लिए पारदर्शी, कोलेजियम-जैसी प्रणाली की आवश्यकता है।

2. शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू

कैसे उपयोग करें:

राज्य PSCs की कार्यात्मक विफलताओं को **शासन संकट (governance deficit)** के रूप में विश्लेषित करें।

मुख्य बिंदु:

◆ विश्वास संकट (Trust Deficit)

विवाद, पेपर लीक और पारदर्शिता की कमी ने अभ्यर्थियों के बीच बड़े पैमाने पर भरोसे का संकट उत्पन्न किया है—यह जवाबदेही की मूलभूत विफलता है।

◆ सेवा वितरण पर प्रभाव

भर्ती में देरी—चाहे न्यायिक मामलों या अनियमित परीक्षा चक्र के कारण—राज्य की पुलिस, शिक्षा, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों में पद रिक्त छोड़ देती है।

यह सीधे राज्य की क्षमता को प्रभावित करता है:

- योजनाएँ लागू करने में,
- सेवाएँ प्रदान करने में,
- और विकास सुनिश्चित करने में।

◆ मानव संसाधन योजना का अभाव

संगठित मानव संसाधन योजना न होने से राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताएँ समय पर पूरी नहीं हो पाती—यह खराब शासन का उदाहरण है।

3. विकास प्रक्रियाएँ और विकास प्रशासन

कैसे उपयोग करें:

भर्ती व्यवस्था की दक्षता को राज्य के विकास लक्ष्यों से जोड़ें।

मुख्य बिंदु:

राज्य का प्रशासनिक तंत्र विकास परियोजनाओं को लागू करने का इंजन है।

यदि यह तंत्र—

- अधूरा स्टाफ़ वाला हो
- या समझौता-युक्त भर्ती से निर्मित हो

तो पूरा विकास एजेंडा प्रभावित होता है।

अन्य आयामों से संबंध

GS Paper IV (नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिक्षमता)

◆ निष्पक्षता और निरपेक्षता (Impartiality & Non-partisanship)

PSC का मूल उद्देश्य निष्पक्ष होना है।

राजनीतिकरण इस नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन है।

◆ शासन में नैतिकता

बार-बार न्यायिक दखल और भ्रष्टाचार के

आरोप इन संस्थाओं में गंभीर नैतिक संकट दर्शाते हैं।

◆ शासन के लिए आवश्यक अभिक्षमता

“अनुप्रयुक्त ज्ञान” एवं “विश्लेषणात्मक क्षमता” पर आधारित पाठ्यक्रम सुधार की मांग भविष्य के सिविल सेवकों में सही अभिक्षमता विकसित करने का प्रयास है।

निबंध (Essay)

यह विषय निम्नलिखित निबंध विषयों के लिए उत्कृष्ट उदाहरण बन सकता है:

- “सांस्थिक सत्यनिष्ठा का संकट”
- “सुशासन: नीयत से निष्पादन तक”
- “संघवाद और राज्य क्षमता की चुनौती”

स्वास्थ्य का भविष्य सामंजस्य और संतुलन में निहित है।

1. परिचय

पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो बीमारियों पर केंद्रित प्रतिक्रियात्मक स्वास्थ्य-देखभाल से हटकर संतुलन, रोकथाम और निजीकरण पर आधारित समग्र मॉडल की ओर परिवर्तन को आकार दे रही है। स्वास्थ्य का भविष्य शरीर के भीतर और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने में निहित है।

2. आधुनिक स्वास्थ्य प्रतिमान के प्रमुख सिद्धांत

स्वास्थ्य एक संतुलन के रूप में:

स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं,

बल्कि शरीर के भीतर तथा मानव-प्रकृति के बीच गतिशील संतुलन है।

रोकथाम आधारित स्वास्थ्य-देखभाल की ओर बदलाव:

प्रतिक्रियात्मक और एपिसोडिक स्वास्थ्य सेवा → निवारक, सक्रिय और व्यक्तिगत स्वास्थ्य मॉडल की ओर संक्रमण।

एकीकृत कल्याण:

मन-शरीर, मानव-पर्यावरण और विज्ञान-आध्यात्मिकता के बीच सामंजस्य पर बल।

3. पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका एवं प्रासंगिकता

परिभाषा:

संतुलन की उपस्थिति के रूप में समझी जाती है, जो स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर आधारित है।

वैश्विक उपयोग:

- दुनिया भर में अरबों लोग इसका उपयोग करते हैं।
- WHO के लगभग 90% सदस्य देशों में यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की पहली पंक्ति है, विशेषकर निम्न एवं निम्न-मध्य आय वाले देशों (LMICs) में।

स्वास्थ्य से परे योगदान:

- जैव विविधता संरक्षण
- पोषण एवं खाद्य सुरक्षा
- आजीविका, विशेषकर ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में
- **आर्थिक मूल्य:** भारत का AVISH क्षेत्र 8.4 अरब डॉलर का उद्योग।

4. संस्थागत ढाँचा एवं प्रमुख पहलें

WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र (GTMC)

- **स्थान:** जामनगर, गुजरात
- **भूमिका:** प्रमाण-आधारित वैश्विक सहयोग के लिए ज्ञान केंद्र

मुख्य कार्यक्षेत्र:

- प्रमाण एवं सीख
- डेटा एवं विश्लेषण
- स्थिरता, समानता एवं नैतिक प्रथाएँ

मार्गदर्शक सिद्धांत:

धरोहर, स्थानीय संसाधनों और सामुदायिक अधिकारों का सम्मान।

भारत सरकार की पहलें

- BIS में एक समर्पित AVISH विभाग की स्थापना
- ISO/TC 249/SC 2 के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मानकों का विकास
- WHO-GTMC और वैश्विक मानकीकरण का संस्थागत समर्थन

5. प्रमुख वैश्विक आयोजन एवं घोषणाएँ

1st WHO Global Summit on Traditional Medicine (2023)

- **स्थान:** गांधीनगर, गुजरात (G20 स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान)
- **परिणाम:** गुजरात घोषणा
 - जैव विविधता संरक्षण
 - नैतिक लाभ-साझेदारी
 - डिजिटल नवाचार
 - पारंपरिक चिकित्सा तक समान पहुँच

2nd WHO Global Summit on Traditional Medicine (2025)

- **तिथि:** 17-19 दिसंबर 2025
- **स्थान:** नई दिल्ली

- सह-आयोजक: WHO एवं भारत सरकार
- थीम: *"Restoring Balance: The Science and Practice of Health and Well-being"*

उद्देश्य: WHO Global Traditional Medicine Strategy 2025-34 को लागू करने हेतु वैश्विक कार्रवाई को गति देना।

6. भारत की सामरिक स्थिति एवं वैश्विक योगदान

सांस्कृतिक विरासत:

आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा का उद्गम स्थल।

वैश्विक भूमिका:

- शोध एवं नवाचार का उभरता हुआ वैश्विक केंद्र
- "परंपरा + प्रौद्योगिकी", "अनुसंधान + सामुदायिक ज्ञान" तथा "स्वास्थ्य + स्थिरता" के एकीकरण का समर्थक

सामरिक दृष्टिकोण:

दर्शाता है कि पारंपरिक ज्ञान आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के साथ सहअस्तित्व कर सकता है।

7. प्रमुख व्यक्तित्व एवं संस्थान

लेखक: प्रतापराव जाधव

(AVISH के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री)

प्रमुख संस्थान:

- WHO
- भारत सरकार
- ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS)
- ISO/TC 249/SC 2

8. निष्कर्ष

पारंपरिक चिकित्सा सांस्कृतिक ज्ञान से विकसित होकर प्रमाण-आधारित, वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संपदा बन रही है। इसका भविष्य निम्न पर आधारित है:

- वैज्ञानिक प्रमाणीकरण
- डिजिटल प्रौद्योगिकियों से सशक्तिकरण
- नैतिकता, स्थिरता और सामुदायिक अधिकारों द्वारा मार्गदर्शन

भारत अपनी सभ्यतागत विरासत और वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति में नेतृत्व के बल पर आने वाले दशक में पारंपरिक

चिकित्सा के दिशा-निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है।

HOW TO USE IT

पारंपरिक चिकित्सा एक हाशिये पर रखी गई, वैकल्पिक प्रणाली से मुख्यधारा में स्वीकार्य, वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त समग्र स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में परिवर्तित हो रही है। भारत अपनी समृद्ध परंपरा, वैश्विक पहलों और नीतिगत सक्रियता के माध्यम से इस परिवर्तन का नेतृत्व करने की अनूठी स्थिति में है—जहाँ वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, आर्थिक अवसर, सांस्कृतिक संरक्षण और स्वास्थ्य के निवारक एवं सतत मॉडल के बीच संतुलन साधा जा रहा है।

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

1. भारत एवं उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कैसे उपयोग करें:

भारत की स्वास्थ्य कूटनीति (global health diplomacy) में नेतृत्व को समझाने के लिए।

मुख्य बिंदु:

- **सॉफ्ट पावर और वैश्विक नेतृत्व:**
जमनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर (GTMC) की स्थापना तथा 2023 और 2025 के वैश्विक

सम्मेलनों की मेजबानी—भारत को पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान का वैश्विक केंद्र और वैश्विक मानक-निर्धारक बनाते हैं। यह सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से सॉफ्ट पावर बढ़ाने का प्रमुख उदाहरण है।

• दक्षिण-दक्षिण सहयोग:

भारत का कम लागत, सुलभ और समुदाय-उन्मुख पारंपरिक चिकित्सा मॉडल अन्य विकासशील देशों (LMICs) के लिए अत्यंत उपयोगी है और सहयोग को बढ़ावा देता है।

2. विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

कैसे उपयोग करें:

भारत सरकार के संस्थागत प्रयासों को उजागर करने के लिए।

मुख्य बिंदु:

- **नीतिगत प्रोत्साहन:**
AYUSH मंत्रालय और अब AVISH विभाग की स्थापना उच्च-स्तरीय नीतिगत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- **मानकीकरण और मुख्यधाराकरण:**
BIS और ISO के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करने के प्रयास गुणवत्ता नियंत्रण, वैश्विक स्वीकार्यता

और विश्वास निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III
(अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण)

1. भारत की अर्थव्यवस्था और संसाधन नियोजन

कैसे उपयोग करें:

पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र के आर्थिक महत्व को समझाने के लिए।

मुख्य बिंदु:

- **उभरता हुआ क्षेत्र:**
भारत के AVISH क्षेत्र का **8.4 बिलियन डॉलर** का अनुमानित मूल्य इसे निर्यात, मेडिकल टूरिज्म और ग्रामीण-आदिवासी समुदायों हेतु रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत बनाता है, विशेष रूप से औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से।

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

कैसे उपयोग करें:

पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मेल पर चर्चा हेतु।

मुख्य बिंदु:

• **प्रमाण-आधारित सत्यापन:**

पारंपरिक दवाओं की सुरक्षा व प्रभावकारिता साबित करने हेतु आधुनिक वैज्ञानिक विधियों (क्लिनिकल ट्रायल, फार्माकोग्नॉसी) का उपयोग सबसे बड़ा अवसर और चुनौती दोनों है। WHO-GTMC इस शोध का वैश्विक केंद्र बनेगा।

• **डिजिटल एकीकरण:**

ज्ञान के दस्तावेजीकरण, मानकीकरण और प्रसार हेतु डिजिटल नवाचार अत्यंत आवश्यक हैं।

3. संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण

कैसे उपयोग करें:

पारंपरिक चिकित्सा को जैव-विविधता और सतत विकास से जोड़ने हेतु।

मुख्य बिंदु:

• **जैव-विविधता संरक्षण:**

पारंपरिक चिकित्सा सीधे औषधीय पौधों के सतत उपयोग से जुड़ी है। इसका प्रोत्साहन जैव-विविधता संरक्षण को बढ़ावा दे सकता है।

• **नैतिक लाभ-साझेदारी:**

गुजरात घोषणा (Gujarat Declaration) में नैतिक लाभ-साझेदारी पर जोर दिया गया है, ताकि

स्थानीय और आदिवासी समुदायों—जो इस ज्ञान के वास्तविक संरक्षक हैं—को उचित लाभ मिल सके। यह जैव-विविधता अधिनियम, 2002 की भावना से भी मेल खाता है।

अन्य जीएस पेपर्स से लिंक

GS Paper I (भारतीय विरासत और संस्कृति)

आयुर्वेद, योग आदि का संवर्धन भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और वैश्विक रूप से प्रसारित करने से जुड़ा है।

GS Paper IV (नैतिकता)

- **बौद्धिक संपदा अधिकार:** जैव-डकैती (bio-piracy) बनाम जैव-अन्वेषण (bio-prospecting) जैसे मुद्दे।
- **नैतिक लाभ-साझेदारी:** स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा।
- **ईमानदारी और दावे:** प्रचार और औषधीय दावों में नैतिकता और पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण।